Election Urgent

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर (म०प्र०)

E-mail id - deoannupur@gmail.com

Fax No.- 07659-222815

// निविदा सूचना //

अनूपपुर , **दिनांक 14/12/2020**

क्रमांक 1962/स्था0निर्वा0/लेखा/2020, सचिव म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार आगामी नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2020-21 को सम्पन्न कराये जाने के लिए महत्तवपूर्ण घटनाओं नामनिर्देशन कार्यवाही, प्रेक्षक, कानून व्यवस्था, व्यय लेखा संबंधी मतदान के समय मतदान केन्द्रों पर एवं अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की विडियोग्राफी हेतु कैमरों (केमरामेन सहित) एवं सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए पंजीकृत तथा अनुभवी शासकीय/अर्धशासकीय/निजी संस्थाओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं । निविदा दो बोली प्रणाली में डालनी होगी, निविदा के साथ तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफे में डाली जावेगी । तकनीकी **(प्रारूप-अ)** एवं वित्तीय **(प्रारूप-ब)** निविदा का सीलबंद लिफाफा एक बड़े लिफाफे में रखा जावेगा, जो कि सीलबंद होगा। तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफा के रूपर स्पष्ट रूप से **प्रारूप-अ एवं प्रारूप-ब** लिखा जाये तथा बडे लिफाफे के ऊपर ***वीडियोग्राफी निविदा*** स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, निविदा दिनांक 29 दिसम्बर 2020 को समय सायं 04.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा खोली जायेगी । सर्वप्रथम तकनीकी लिफाफा **प्रारूप-अ** खोला जायेगा तथा तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर ही संबंधित फर्म का वित्तीय लिफाफा **प्रारूप-ब** खोला जायेगा । निविदाकार चाहे तो स्वंय या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं । नियत समय-सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा ।

वीडियोग्राफी निविदा की शर्ते

1. निविदाकार के पास उनके फर्म के नाम से आयकर विभाग द्वारा जारी GST नंबर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। निविदा के साथ जीएसटी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावेगा ।
2. सफल निविदाकारों को वीडियोंग्राफी हेतु उपलब्ध कराए जाने वाला वीडियोग्राफर के नाम, मो.नं. एवं पते की सूची निविदा के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय अनूपपुर में प्रस्तुत करना होगा ।
3. निविदा निर्धारित प्रपत्र में होना आवश्यक होगा । निविदाकर्ता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर के नाम से 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएॅ-02-निर्वाचन-800-अन्य प्राप्तियॉ हेड में 500.00 रूपये चालान के माध्यम से जमा कर चालान की एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय (स्था.निर्वा.) अनूपपुर में जमा कर निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता हैं ।
4. सीलबंद निविदाएं जिला निर्वाचन कार्यालय (स्था.निर्वा.) अनूपपुर में दिनांक दिसम्बर 2020 को दोपहर 3:00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी एवं प्राप्त निविदाएं उसी दिन दिनांक दिसम्बर 2020 को उपस्थित निविदाकारों के समक्ष सायं 04.00 बजे खोली जावेंगी नियत समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं जावेगा ।

5. प्राप्त तकनीकी निविदाओं के समस्त बंद लिफाफे समिति द्वारा नियत दिनांक एवं समय पर खोले जायेंगे । जिन निविदाकारों की निविदा के साथ अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट तथा निविदा क्रय मूल्य का चालान तथा आवश्यक प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियॉ संलग्न नहीं होगीं वह निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी । अस्पष्ट एवं अपूर्ण भरी हुई निविदाऍ भी अस्वीकृत कर दी जावेगी ।

6. निविदाकार को निविदा के साथ **20,000/- (बीस हजार रूपये)** की अमानत राशि राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर के नाम तैयार कराकर जमा करना होगा ।

7. निविदाकार के द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे वीडियाग्राफर के खाने व ठहरने की व्यवस्था निविदाकार को स्वंय करना होगा ।

8. निविदाकार सी0डी0/डी0व्ही0डी की सुरक्षा हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा सी0डी0/डी0व्ही0डी पूर्ण होने पर उसे तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय (स्था.निर्वा.) अनूपपुर में जमा करना होगा ।

9. निविदाकार जिन्हें कार्यादेश जारी किया जावेगा, उनके द्वारा की गई वीडियोग्राफी की सीडी/मेमोरीकार्ड स्वयं के व्यय पर उपयोग में लाना होगी इस हेतु पृथक से भुगतान देय नहीं होगा ।

10. कार्य उपरांत संपूर्ण सीडी/मेमोरीकार्ड जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को उपलब्ध कराई जावेगी ।

11. विगत तीन वर्षो की दाखिल की गई आयकर रिटर्न/जीएसटी की स्वच्छ एवं स्व: हस्ताक्षरित प्रति, पेन नंबर की प्रति प्रस्तुत की जावे ।

12. निविदाकार एवं उसके द्वारा नियुक्त किए गये वीडियोग्राफर एवं कर्मचारी का किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से कोई संबध नहीं होना चाहिए । निविदाकार एवं उसके कर्मचारी कार्यावधि में किसी भी राजनैतिक पार्टी अथवा अभ्यर्थी से चाय/नाश्ता/भोजन इत्यादि ग्रहण नहीं करेंगे । यदि निविदा शर्तो का उल्लंघन पाया गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

13. निविदाकार अपनी डियूटी के दौरान निविदाकार और उनके दल की चाय नाश्ता देने का प्रबंध स्वयं के व्यय पर करेंगे । इसके लिए पृथक से भुगतान नहीं किया जावे ।

14. निविदाकार सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मार्गदर्शन, नियंत्रण एंव पर्यवेक्षण में कार्य करेगा ।

15. निविदा का कार्य क्षेत्र तथा आवश्यक डिजिटल कैमरा, सी.सी.टी.व्ही. कैमरा, वीडियो कैमरा की अनुमानित संख्या भाग क्रमांक-2 अनुसार होगी । कैमरों की संख्या अधिक या कम हो सकती हैं ।

16. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि निविदा प्रपत्र के भाग-2 भी उसने जितने कैमरों की संख्या का उल्लेख किया है, वे सभी कार्य हेतु मय कैमरामैन के उपलब्ध रहें

17. निविदाकार द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि उस दर में समस्त प्रकार के कर एवं व्यय सामिल हैं ।

18. जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर को यह अधिकार होगा कि गुण दोष के आधार पर बिना कोई कारण बताऍ निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है ।

19. उपलब्ध कराये गये मेनपावर के संबध में समस्त प्रचलित नियम/कानूनों का पालन निविदाकार को करना होगा । मेनपावर की आकस्मात अनुपस्थिति, कैमरे की खराबी आदि होने पर वैकल्पिक व्यवस्था विदाकार द्वारा तत्काल की जावेगी । वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर 500/- प्रति दिन पैनाल्टी लगाई जावेगी जो कि भुगतान योग्य राशि में समायोजित की जायेगी ।

20. सफल निविदाकार तथा उनके वीडियोग्राफरों को यह प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनका किसी राजनैतिक दल से या अभ्यर्थियों से कोई संबंध नहीं हैं ।

21. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर को होगा एवं उनका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य रहेगा । उनके निर्णय विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद
नही लाया जा सकेगा।

22. वीडियोग्राफी के कार्य हेतु वीडियोग्राफर को जिले के किसी भी क्षेत्र में भेजा सकेगा जिसके लिए वह बाध्य होगा।

23. निविदाकार को प्रतिदिन के कार्य का व्यौरा एवं प्रगति रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर एवं उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

24. निविदाकार को किसी भी कार्य के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर द्वारा नियत किये गये कार्यों के संबध में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों का परीक्षण एवं उपयोगकर्ता अधिकारियों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण उपरांत स्वीकृत योग्य पायी गई राशि में से नियमानुसार आंशिक राशि का भुगतान आवंटन की उपलब्धता अनुसार किया जावेगा, शेष राशि का भुगतान नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त होने पर आवश्यक कटोत्रों के समायोजन उपरांत किया जावेगा ।

25. वीडियोग्राफर को वीडियोग्राफी कार्य हेतु किसी भी समय बुलाया जा सकता हैं । किसी भी समय कार्य करने हेतु बाध्य रहेगा । सामान्य रूप से कार्य की अवधि प्रात: 06:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक रह सकती हैं ।

26. निविदाकार तथा उनके वीडियोंग्राफरों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा । यदि उनके द्वारा उल्लंघन किया जाता हैं तो निविदा अस्वीकृत की जाकर जमा की गई अमानत राशि शासन पक्ष राजसात की जावेगी । तथा उनके द्वारा किये गये कार्यो का कोई भुगतान नही किया जावेगा एवं उसी दर पर किसी अन्य वीडियोग्राफर से कार्य कराया जावेगा ।

27. निविदाकार के पास पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसका **अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्ल किया जावे ।**

28. स्वीकृत न्यूनतम निविदा दर निविदा स्वीकृति दिनांक से 01 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी ।

(चन्द्रमोहन ठाकुर)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/ /स्था.निर्वा./लेखा/2020/ अनूपपुर, दिनांक /12/2020

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, जनसंपर्क, जनसंपर्क भवन बाणगंगा रोड भोपाल म.प्र. की और 5 अतिरिक्त प्रतियों में संलग्न कर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।
3. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल ।
4. समस्त कलेक्टर जिला समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
5. जनसम्पर्क अधिकारी जिला अनूपपुर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र अनूपपुर की ओर जिले की वेबसाईट में प्रकाशनार्थ ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

Election Urgent

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर (म०प्र०)

E-mail id - deoannupur@gmail.com

Fax No.- 07659-222815

// निविदा सूचना //

क्रमांक 1959 /स्था0निर्वा0/लेखा/2020, सचिव म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार आगामी नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2020-21 को सम्पन्न कराये जाने के लिए महत्तवपूर्ण घटनाओं नामनिर्देशन कार्यवाही, प्रेक्षक, कानून व्यवस्था, व्यय लेखा संबंधी मतदान के समय मतदान केन्द्रों पर एवं अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की विडियोंग्राफी हेतु कैमरों (केमरामेन सहित) एवं सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए पंजीकृत तथा अनुभवी शासकीय/अर्धशासकीय/निजी संस्थाओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं ।

निविदाकार के द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर के नाम से 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-02-निर्वाचन-800-अन्य प्राप्तियाँ हेड में 500.00 रूपये चालान के माध्यम से जमा कर चालान की एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय (स्था.निर्वा.) अनूपपुर में जमा कर निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता हैं । निविदा शर्ते एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों एवं समय में दिनांक दिसम्बर 2020 को दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती हैं ।

सीलबंद निविदाएँ दिनांक 29 दिसम्बर 2020 को समय सांय 3.00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय (स्था.निर्वा.) अनूपपुर में प्राप्त की जावेंगी तथा प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दिनांक 29 दिसम्बर 2020 को समय सायं 04:00 बजे निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष जिला निर्वाचन कार्यालय (स्था.निर्वा.) अनूपपुर में खोली जायेंगी ।

निविदा की विस्तृत **www.anuppur.nic.in** में देखी जा सकती हैं ।

(चन्द्रमोहन ठाकुर)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/ /स्था.निर्वा./लेखा/2020/ अनूपपुर, दिनांक /12/2020

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, जनसंपर्क, जनसंपर्क भवन बाणगंगा रोड भोपाल म.प्र. की और 5 अतिरिक्त प्रतियों में संलग्न कर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।
3. सहायक संचालक जनसंपर्क अनूपपुर।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

भाग-2

(वीडियोग्राफी सी.सी.टी.व्ही. कैमरा एवं डिजिटल फोटोग्राफी हेतु)

1- वीडियोग्राफी हेतु अनुमानित कैमरों की संख्या - 80 नग ।

2- सी.सी.टी.व्ही. कैमरों की अनुमानित संख्या - 50 सेट ।

3- डिजिटल कैमरों की अनुमानित संख्या - 50 नग ।

<u>नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2020-21</u>

<u>वित्तीय निविदा का प्रारूप वीडियोग्राफी हेतु</u>

मै/हम

....

....

क्रमांक	विवरण	प्रथम 12 घंटे तक के लिए		12 घंटे से अधिक होने पर प्रत्येक घंटे के लिए	
		अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
1	प्रति वीडियो कैमरा (ऑपरेटर सहित)				
2	प्रति डिजिटल कैमरा (ऑपरेटर सहित)				
3	सी.सी.टी.वी. कैमरा (4 कैमरे का एक सेट) प्रति युनिट के मान से संपूर्ण उपकरण एवं ऑपरेटर सहित)				
4	प्रति कलर टी.वी. 42 इंच (एल.ई.डी.) मय केवल कनेक्शन सहित				
5	प्रति कलर टी.वी. 55 इंच (एल.ई.डी.) मय केवल कनेक्शन सहित				

नोटः- उपरोक्त दरों में कर्मचारी, स्थापना व्यय, अन्य व्यय तथा कर आदि सम्मिलित रहेगें ।

1. मैं /हम सहमत हूँ /हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तावित की गई उपरोक्त दर सभी कर एवं व्ययों सहित प्रस्तुत की गई है ।
2. निविदा अनुसार सहमत शर्त मुझे स्वीकार है, तथा किसी भी निविदा शर्त के उलंघन को दोषी पाये जाने पर धरोहर राशि राजसात कर फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।
3. निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट /बैंक गारंटी क्रमांक ------------------------दिनांक ------------------राशि 20,000/- (बीस हजार रुपये) बैंक का नाम --- का संलग्न प्रस्तुत किया गया है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार/फर्म का नाम --

निविदाकर /फर्म का पता ---------------------------------------

मोबाईल नम्बर---

नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2020-21

तकनीकी निविदा का प्रारूप वीडियोग्राफी हेतु

1.	निविदाकार की फर्म का नाम-	
2.	फर्म का प्रकार (स्वयं/भागीदारी/निदेशक)	
3.	फर्म के मालिक /प्रोप्राईटर/निदेशक का विवरण-	
	नामः	
	पताः	
	मोबाईल नम्बरः	
	ई-मेल का पता	
4.	जमा की गई प्रतिभूति राशि का विवरणः (बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी का क्रमांक व दिनांक राशि तथा बैंक के नाम का उल्लेख करें)	
5.	पंजीकृत कार्यालय का पूरा पताः	
	दूरभाष क्रमांकः	
	फैक्स नम्बरः	
	ई-मेल का पताः	
6.	निविदाकार के बैंक का विवरणः	

	बैंक का नाम-	
	खाता क्रमांक-	
	शाखा का नाम -	
	आई.एफ.एस.सी. कोड-	
7.	पैन संख्याः	
	(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
8.	सेवाकर पंजीकरण/जी.एस.टी.सख्या-	
	(प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
9	अनुभव का विवरण (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलगन करें)	

निविदाकार के हस्ताक्षर

....

निविदाकार का नाम

....

मोबाईल नंबर

....

फर्म की

सील..

......